



कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

कमांक एफ 5 ()मुवस / वसु / 2021-22 / 3148 निमित. दिनांक :- 13-4-2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय:— वनभूमि में आने वाला' Laying Underground Optical Fiber Cable Along the Road within the existing Row Ratabpur to khairwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length – 48.940 km'' District- Dungarpur & Udaipur Rajastha." proposal No.FP/RJ/OFC/120932/2021)

संदर्भ :- आपका ईडीएस दिनांक 29.03.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित ईडीएस से आलौच्य प्रकरण में 0.2511 हैक्टयर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति इस संभागाधीन वनमण्डल डूंगरपुर ने उनके पत्रांक एफ ()एफसीए/उवस/2021–22/1183 दिनांक 31.03.2022 एवं उप वन संरक्षक, उदयपुर ने उनके पत्रांक एफ ()/तकनीकी/उवस/2021–22/2406 दिनांक 07.04.2022 से पूर्ति कर प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त प्रतियाँ इस कार्यालय की सहमित के साथ ऑनलाईन कर हार्ड काॅपी की छाया प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(आर.कॅ.सिंह) संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर। दिनांक:-

क्रमांक पत्रा 5()मुवसं/वसु/2021—22/ प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1- उप वन संरक्षक, डूंगरपुर को उनके पत्रांक 1183 दिनांक 31.03.2022 के कम मे। 2-उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 2406 दिनांक 07.04.2022 के कम में

3- Telesonic Network Limited K-21, Sunny House, Malviya Marg C- Scheme, Jaipur

संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन-313001

E-mail:-dcf.udpr.forest @gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स./2021-22/2406

निमित्

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

उदयपर

त्य मुख्य

विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District -Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

सन्दर्भ:- आपका EDS दिनांक 05.04.2022 के कम में।

महोदय.

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से TELESONIC NETWORKS LIMITED द्वारा Ratanpur To Kherwara, Total Route Length- 48.940 km तक केबल कार्य करवाने हेत प्रस्तावित केंबल मार्ग के वन क्षेत्र पड़ने से कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने हेत् प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये। EDS अनुसार गजट नोटिफिकेशन वनखण्ड छाणी एवं झाझंरी को पार्ट-11 में अपलोड कर दिया गया है। केबल लाईन वनखण्ड छाणी व पाटिया उर्फ झाझंरी से गुजरेगी। छाणी रक्षित वन व पाटिया उर्फ झाझंरी आरक्षित वन है। उक्तानुसार निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है। संलग्न:-उपरोक्तानुसार

> भवदीय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज.)

कमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स.उ./21-22/ प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-

1 Telesonic Networks Limited K-21, Sunny House, Malviya Marg C-Scheme, Jaipur-302001

उदयपुर (राज.)

L put up Lliny B

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s
Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940

km." District - Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

(Proposal No. FP/RJ/OFC/120932/2021)

A proposal has been received by this office from TELESONIC NETWORKS LIMITED for diversion (under FCA-1980) of 0.1305 ha Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District – Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 20-01-2022 On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring $0.1305\ ha$

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.............NO........

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required.......NO.......NO........

- (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction.
- (b) it falls in Chhani and Patia urf Jhanjhari forest block. Chhani is declared as Protected Forest While Patia urf Jhanjhari as Reserved Forest.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommended for acceptance of the proposal.

0

Place: Udaipur

Date: 28-01-2022

(Signature)

Name:- Mukesh Saini

Designation: - Dy. Conservator of forest,

Udaipur

Official Seal.....

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s

Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District -Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

(Proposal No. FP/RJ/OFC/120932/2021)

A proposal has been received by this office from TELESONIC NETWORKS LIMITED for diversion (under FCA-1980) of 0.1305 ha Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District -Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 20-01-2022 On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring 0.1305 ha

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.....NO.....

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required.....NO.....

- The user agency has not violated the provisions of Forest (a) (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction.
- (b) it falls in Chhani and Patia urf Jhanjhari forest block. Chhani is declared as Protected Forest While Patia urf Jhanjhari as Reserved Forest.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommended for acceptance of the proposal.

Place: Udaipur

Date: 28-01-2022

Name:-

(Signature) Mukesh Saini

Designation: - Dy. Conservator of forest,

Udaipur

Official Seal.....

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA)

Name of Project:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District –Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

(Proposal No. FP/RJ/OFC/120932/2021)

A proposal has been received by this office from TELESONIC NETWORKS LIMITED for diversion (under FCA-1980) of 0.1305 ha Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from Ratanpur To Kherwara, M/s Telesonic Networks Limited. Total Route Length- 48.940 km." District – Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 20-01-2022 On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring $0.1305\ ha$

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 of part-l is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof......NO......

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required.......NO......

- (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction.
- (b) it falls in Chhani and Patia urf Jhanjhari forest block. Chhani is declared as Protected Forest While Patia urf Jhanjhari as Reserved Forest.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommended for acceptance of the proposal.

Place: Udaipur

Date: 28-01-2022

(Signature)

Name:- Mukesh Saini

Designation :- Dy. Conservator of forest,

Udaipur

Official Seal.....

OFC cable

Page 271

राजाच विकास

विज्ञाप्ति

nical FO(GR) DO TO EX

से गाउँ की सिंह्या

明中原

मिलाम मिलामी

新之所 於新新 दिनांक 🥌 🐇

्रिह हा के साथ केंग्रेग वातुन्ती में समाबिए वन मूमि तथा संबर भूमि में व्यवका क्या पह स्वार्थ के बार आहे. विकास के बाद की की बाद और उसका अभिनेत्वन रोजस्थान वन व्यविध्यम (१००० का संबर्ध के बाद की विकास की की सामा (१००० की सामा (१००० की उपधार (१००० का अधिन्त्वन संवर्ध के बादु अस्त में १००० का अधिन्त्वन संवर्ध के बादु अस्त के बाद की की अधिन्त्वन से बाद की की सामा (१००० की सामा (१०० की सामा (१००० की सामा (१०० की सामा (१००० की सामा (१००० की सामा (१०० की साम

क्रतः अब उपयुक्ति अधिनियम की धारा (२६) की उपचारा (१) के द्वारा प्रश्च ग्रामिशवी के प्रतिश वे राग प्रश्ना हार्याय ग्रीपित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध पूर्वीवत वन मूमि और बेबर सूपि पर लागू हीम को १६ प्रत्यरवात रिद्रित बन कहलाया बावेगा।

होर अधिकारों की संक्षिप्त पूर्वा(1) में इस्केरित सीमा तक निये लिए में पाप अधिकार रख्टे रहेंगे और संक्षिप्त पूर्वा(2) में इस्केरित सीमा तक, पूर्व मीसरों में. उन्द हों के पूर्व मार्गों में तथा ऐसे निक्तों के अदीन, सी राज्य सरकार दास सम्बद्ध पर इस्किंदित किये साथे, रिजायतों का उपनोग करेंगे.

राज्यपाल की आज्ञा से,

अनुसूर्च

	ता वहसील	पट्टी या वनखरड	मीगा	चेत्रफल वनखण्ड या मीजा एकड़ी में	विशेष विवरण
्र अपप	ह विस्वाडा	वाणी	न जा	180.80	बीमारेश विव
		*	चित्ररोडा	986.80	परिशिष्ट (स)
a diameter			बाबडी	\$1,000	
			अरसो डा वा डा	\$105 "85	
			बायडी	80,200	
			क्याई	211,89	
		· 1	घनीछ	02,189	
	TRUE-C	OPY.	उनेशा		
	HULL	4'	स्रवाह		
		4/	Chairs or		
		Meer near		1255.16	एगड
	Forest Stiffen	or to a charp)		6/	Birth
	UDALPUR	& low-	(H	केश सनी)	
	Y		Programme and the second secon	वस स्वरूप	
				unter signed	

राजाव विभाग

विज्ञप्ति

アロ(レイ) かって

निक्रिक्स न माइ मा 节、人 相格

部部部 हिमान म

the this 112. 所 दिनांक 👟 🗕

मुंब हरा है साथ हेला न वसनुक्ती में समाविष्ट वन सूमि तथा अंबर भूमि में अध्यक्ष इस पर सरवार के बीर आ क व्यक्तियों के प्रकार तथा थीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (११४६ का राजस्थान व्यक्तियों के भाषा (२६) की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (११४६ का राजस्थान व्यक्तिमार्थ है। की घारा (२०) की उपधारा (३) के अधीन नारी की गई विवर्ध के अनुसरण में कि मा बाबा रह

क्षता अन उपयुक्त आधिनियम की धारा (२६) की उपधार। (१) के द्वारा प्रदत्त राक्तियों के प्रयोग में साना स्वया प्राचीय ग्रीपित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध पूर्वीयन वन भूमि और बंधर भूमि पर लाए होंगे के प्र एत्रपरचार रिवृत वन कदलाया बावेगा।

बौर अधिकारों की संक्षिण्स सुनी(।) में उच्छेबित सीमा तक नियं कि मेंय पाम वादिलार रास्ते गहेंगे और संक्षिण्त सुवी (१) में उस्केशित सीमा तक, ऐसे मोसरी में, उन्त कों के पूरे मार्गो में तथा ऐसे निक्तों के अधीन, जी राज्य सकार दास समय समय पर व्यापित किये जावे, रिजायती का उपनोग करेंगे.

राज्यपाल की आजा से,

शासन सचिव।

अनमची

医石灰泥	बिना	तहसील	पट्टी या वनखरड	मीना	ज्ञेत्रफल वृनखण्ड या मीजा एकड्रॉ में	विशेष विवस्य
	AUTO	क्षेरवाडा	जाण ी	हाणी चित्रसेंडा बावही अरसोंडा वा डा बायडी कम्हर्ष घनीं रु	08.089 08.339 \$1.000 98.509 80,500 88,555	चीमा खा जिल्हा परिहाद (स) फे
		JE-CC	freed	स्नेता सुसतान	किया सैनी) वन संरक्षक जन्मपुर	

राजम्य विस्तात

S PORT न गाइ मा

朝命作師 family . fie.fle si

13. 部

दिनांक

भू कि East श्रीम केलग्न सनुवनी में समाविष्ट वन भूमि तथा श्रीम में सम्बद्ध क्ष्य पढ़ आहार न स्वीत आहे. जारिया के भारत से भारत से भारत है जो जान और उसका अभिनेत्र न राजध्यात वर्ग अविश्वस (१००६ का प्रकार का अभिनेत्र न राजध्यात वर्ग अविश्वस (१००६ का प्रकार का व्यासायों में विश्व (१६) की भारा (१९) की उपधार (६) के अधीन वारी की गई विश्वति के बातुरवर में कि का अधिक है।

बात: अब उपर्युवत श्रिधिनियम की धारा (२६) की उपधारा (१) के द्वारा अवस राज्यिकों के असीन से राज्य आ का त्राव्याया प्राप्ति करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध पूर्वीवत वन मृत्ति और बेंबर गृति वर लगा होने का प्र एउटपरचार रदित बन कदलाया बावेगा।

जीर अधिकारों की संक्षिण्स सुनी(।) में उटलेखित सीमा तक नियं लिये में पाय आध्यार रहते रहेंगे और संसिप्त हुवी (१) में उस्केपित सीमा तर, ऐते मोसरों में, उस्व को के पूर्व भागों में तथा ऐसे निक्तों के अधीन, यो राज्य सरकार दा स साम क्षाय पर हिमारित किये जावे, रिजायती का उपनीय करेंचे.

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

जिना	वहसील	पट्टी या वनखरड	मीना	चेत्रफल वृत्तखाउँ या मीना एकड़ों में	विशेष विवस्य
उपपर	क्षेत्रवाडा	ब्राणी	हाणी	180.80	संद्याच्या वि
		*	चितरों डा चावडी	\$1,000	परिशिष्ट (व)
			अरसोडा वा डा	88,808	
			जायडी	80,500	
			क्नाइ	281,89	
			ঘনীত	92,129	
TRI	JE-CC	PY.	अनेस्वर	-	
		1	स्रहाड		
		House		1064 16	
	a Sttleme	新生 子 まままたままた F P			
	JUANUR	Kales	(9	क्षेत्र सेनी)	
*				वन संरक्षक जनवर OCIANO	

राजस्थान राज्यन, अनेत । बन विभाग १९५४, भाग १ (स) पृष्ट २६ वित्रित

क्पुर, परस्वरी २, १९५४

संस्था. एपन. १४ (२००) रेकेन्यू : ४३- १२१४४ ड:- सर्व साधारण को स्थित क्रिया जाता है कि निम्निलिखित मूमि राज्यथान पर रिम्ट एक्ट सन् १९५ की धारा ४ के अनुसार इस विश्वणित के प्रकाशित होने की तारी में ति उर्लंड (उप कि रसाया हुआ) जंगल जनाना निष्मित किया गया है और भ्री नायू सिंह बौहान. डिविजनल पन रिस्ट पेटलमेन्ट आपिन सा निम्निल किये गये हैं. निम्निल आपिन सा के अधिकार होगा कि पन रिस्ट एक्ट की इसी धारा अनुसार रिजर्वड रसाये जाने वाली मूमि में किसी व्यक्ति के इक, सीमा व ठपन के सम्बन्ध में जानकारी प्राण्त करके किए यि दे.

÷৽ হ্য ৽	नाम डिस्ट्रोक्ट व तहसील	नाम रेन्ज	नाम व्लाक बौरि वर्नड	हुद्धा	पिमा व्लांक
===			होगे		
88	उद्यपुर	रे=ब	झाझारी	20	पारीया
	तहसील	लिवाडा		पु०	भागत वारा
	कोरहा			द०	ड्रंगरपुर /
				По	जोग्ये प्रस्तिन

आर॰ डी॰ मध्य, मेहेटरी,

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

राजस्थान राज्यत्र, कोल । विमाग १९५४, भाग १ (स) पृष्ट २६ विचित्रित

ज्यपुर, परस्वरी २, १९५४

संस्था. एपन. ३४ (२००) रेकेन्य : ४३- १२१८८ ड:- सर्व साधारण को स्थित किया जाता है कि निम्निलिखित समि राज्यधान पर रिम्ट एवट सन् १९५ की धारा ४ के अनुसार इस विश्वणित ने प्रकाशित होने की तारीस में रिक्बंड (स्थित स्थाया हुआ) कंगल बनाना निश्चित किया गया है और भी नाय्सिंह बौहान. के डिविजनल पन रिस्ट सेटलेम्न्ट आपिन सा निश्चत किये गये हैं. निश्चत आपिन सा की अधिकार होगा कि पन रिस्ट एवट की इसी धारा अनुसार रिक्बंड रसाये जाने वाली समि में किसी व्यक्ति के हक, सीमा व उपच के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। निर्धा दें.

নি॰ হ্যু॰	नाम हिस्ट्रोड्ट व तहसील	नाम रेन्ज	नाम व्लाह जोरिजर्वड होगे	हुदुद सिमा व्खांक
===				
88	उद्यपुर	रे-ज	झाझारी	ड॰ पारीया <u> </u>
	तहसीछ	विवाडा		प्॰ भामत वारा
	कोरडा			द॰ इंगरपुर
				प॰ औरवे प्रस्तिन

ह॰ आर॰ डी॰ माध्य. भेद्रेटरी.

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर Counter ()

राजस्थान राज्यत्र, कोल एक १९५४, भाग १ (स) पृष्ट १६ वन विसरित

नपुर, परस्वरी २, १९५४

संस्था. एपन. १८ (१००) रेवेन्य : ४१- १२१८८ ड:- सर्व साधारण को स्थित किया जाता है कि निम्निष्ठियित समि राज्यथान पन रेस्ट एवट सन् १९६ की धारा ४ के अनुसार इस विविधित के प्रकाशित होने की तारीय में रिक्वंड (स्थेक रखाया हुआ) जंगल जनाना निश्चित विधा गया है और भी नाय्यिंह बौहान. कि विविधनल पन रेस्ट सेटलमेन्ट आपिन सा निश्चित किये गये हैं. निश्चन्त आपिन सा की अधिकार होगा कि पन रेस्ट एवट की इसी धारा अनुसार रिक्वंड रखाये जाने वाली स्थि में किसी ट्याबित के हक, सीमा व ठमच के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त लाके. निर्णाय दे.

ने॰ शु॰	नाम डिस्ट्रोब्ट व तहसील	नाम रेन्न	नाम व्लाक बौरिक्ड	हुद्धा	सिमा व्खांक
===			होगे		
88	उद्यपुर	ी-व	झाझारी	ठ०	पार्टीया
	तहसील	सिवाडा		पु०	भामत वारा
	कोरहा			द०	डूंगरपुर
				По	बोग्वे प्रस्तिन

ह॰ आर॰ डो॰ माध्य, मेर्टरी,

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर Counter signed

कार्यालय उप वन संरक्षक, डूगरपुर (राज0)

क्रमांक:-एफ()एफसीए/उवसं/2021-22/1183 दिनांक:-31/3/2022

संमागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर

विषय:— वन भूमि में आने वाला "Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Ratanpur to Khairwara, M/s telesonic Networks Limited. Total Route Length-48.940 km." District- Dungarpur & Udaipur (Rajasthan)" के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन किये गये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/120932/2021

प्रसंग:- आप द्वारा लगाए गए आक्षेप की पूर्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाए गए आक्षेपो की पूर्ति बिन्दुवार कर निम्नानुसार प्रेषित है-

- 1. प्रकरण के पार्ट—ाा के इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि का Legal Status में Revenue forest अंकित हो गया था, जिसे संसोधित कर Reserved Forest कर दिया गया है।
- 2. प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा CA भूमि का KML Upload हो गया था, उसे हटा दिया गया है।
- 3. प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा Recommendations में Not Applicable अंकित हो गया था, उसे संसोधित कर सही Recommendations अंकित कर दी गई है।

मवदीय (स्पोंग्र-शशी) उप वन संरक्षक डूँगरपुर